भारत सरकार

गृह मंत्रालय

**लोक सभा**

**अतारांकित प्रश्न संख्या 1441**

दिनांक 02.12.2014/ 11 अग्रहायण, 1936 (शक) को उत्तर के लिए

**औषधियों का दुरुपयोग**

**†1441. डॉ० किरीट सोमैया:**

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नशे के आदी और ड्रग माफियाओं द्वारा मेफेड्रॉन के प्रयोग किये जाने की खबर है;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या सरकार को इसे स्वापक औषधि और मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 के अंतर्गत लाने के लिए विभिन्न राज्य सरकारों से अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं; और
(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया हैं?

**उत्तर**

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री **(श्री हरिभाई परथीभाई चौधरी)**

**(क) एवं (ख): स्वापक नियंत्रण ब्यूरो (एनसीबी) ने सूचना दी है कि 'मेफेड्रोन' का ड्रग के रूप में प्रयोग की कतिपय रिपोर्टें/सूचना प्राप्त हुई है। इसके विवरण निम्नानुसार हैं :-**

**(i) एअर कार्गो के माध्यम से भारत से भेजे गए 112 कि.ग्रा 'मेफेड्रान' का 27.05.2014 को साइप्रस में जब्त किए जाने की सूचना राजस्व आसूचना निदेशालय से प्राप्त हुई ।**

**(ii) औषधि एवं सौन्दर्य प्रशासन सामग्री अधिनियम, 1940 एवं नियम, 1945- 'मेफेड्रान' का दुरुपयोग विषय पर खाद्य एवं औषधि प्रशासन एम एस मुम्बई के आयुक्त से प्राप्त सूचना प्राप्त हुई।**

**(iii) फ्रैंकफर्ट हवाई अड्डे पर बॉबीन में 01 कि.ग्रा. 'मेफेड्रान' जब्त किए जाने की केन्द्रीय जांच ब्यूरो (इंटरपोल) से प्राप्त सूचना प्राप्त हुई।**

**(iv) 'मेफेड्रान' के दुरुपयोग और इसे स्वापक औषधि एवं मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 के अंतर्गत शामिल किए जाने के संबंध में महाराष्ट्र सरकार द्वारा प्राप्त सूचना प्राप्त हुई।**

**(ग) और (घ): 'मेफेड्रोन' को एनडीपीएस एक्ट के अंतर्गत लाने के संबंध में स्वापक नियंत्रण ब्यूरो को महाराष्ट्र सरकार से 02.09.2014 को एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। चूंकि एनडीपीएस एक्ट में संशोधन करने के लिए प्रशासनिक मंत्रालय राजस्व विभाग, वित्त मंत्रालय है, अत: उस पर उनके द्वारा विचारा किया जा रहा है।**

*****